कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0.01373-223433,Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 855 / 12-1 पुरोलाः दिनांक 07/01/ 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित (44 मे0वा0) क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु एसजेवीएन लिमिटेड को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी. /01/146/2018/एफ.सी/1855 दिनांक 27.11.2020।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गयी सूचना का बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है–

1. बिन्दु संख्या 1– इस कार्यालय से सम्बन्धित नही है।
2. **a.** पूर्व में 1530 वृक्षों की सूची अपलोड की गयी थी, यह सत्य एवं सही है।
   b. जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली **22.067** है0 सिविल सोयम भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या 1530 है जो त्रुटिवश अपलोड सूची में 1498 की गई थी, उसे संशोधित कर दिया गया है।
   c. गोविन्द वन्य जीव विहार से परियोजना के निर्माण हेतु **22.067** है0 भूमि प्रभावित नही हो रही है बल्कि गोविन्द वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु **22.067** सिविल वन भूमि प्रभावित हो रही है।
3. प्रस्तावित परियोजना का सम्पूर्ण क्षेत्र वन्य जीव विहार के अन्तर्गत सिविल वन भूमि में आता है, वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्र दुर्गम, अति दुर्गम है, जिसके अन्तर्गत उच्च हिमालयी क्षेत्र के वन्य प्राणी सर्दी की ऋतु मे हिमपात के दौरान उच्च हिमालय क्षेत्र से नीचे की ओर आते है, उस समय यह क्षेत्र वन्य प्राणी कोरिडोर के रुप में प्रयोग करते है,। इस सम्बन्ध में उचित होगा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून से भी एक रिर्पोट प्राप्त कर ली जाय।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

7/1/2021

(कोमल सिंह)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं रा0पा0,
पुरोला, उत्तरकाशी।

पत्रांक / समदिनांकित

1. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर महाप्रबन्धक (परि0प्र0), जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना, मोरी, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ हेतु।

संलग्न–यथोपरि।

7/1/2021

(कोमल सिंह)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं रा0पा0,
पुरोला, उत्तरकाशी।

O/C

My computer/F/Desktop/ Land trans new, land trans latter

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप निदेशक,

गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला

फोन/फैक्स नं0– 01373–223328
E-Mail:- dfo_tons@yahoo.co.in
वन मित्र कॉल सेंटर– 9208008000

पंत्राक– 1723 /12-1 दिनांक,पुरोला 25/06/2018।

सेवा में,

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
देहरादून।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र सिविल सोयम वन भूमि (22.0670है0) के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/HYD/22889/2016.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि याचक विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन करने के उपरान्त प्रस्ताव की दो प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करवाई है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को आपको अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	प्रस्तावित परियोजना का नाम	आरक्षित वन भूमि क्षे0 (है0में)	सिविल सोयम वन भूमि (है0में)	वन भूमि का कुल योग (है0में)	प्रपोजल नं0
1	2	3	4	5	6
1	जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण प्रस्ताव (22.0670है0)।	-	22.0670	22.0670	FP/UK/HYD/22889/2016.

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0पी0मिश्रा)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला

29-06-2018 ... दो प्रतियों में प्राप्त किया

प्रतिलिपि – 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महा प्रबन्धक (परियोजना प्रमुख) जखोल–सांकरी जल विद्युज परियोजना, मोरी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0पी0मिश्रा)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय

Scanned with CamScanner

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7– परियोजना / स्कीम का स्थान	जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना, जनपद उत्तरकाशी।
(1) राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(2) जिला	उत्तरकाशी
(3) वन प्रभाग	टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	आरक्षित वन भूमि– सिविल सोयम– 22.0670 है0 योग– 22.0670 है0
(5) वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम
(6) हरियाली का घनत्व	
(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एल0आर0एल0 एफ0, एफ0एल0आर0 –2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।
(8) भू–क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–क्षरण की सम्भावना नहीं है। भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है। (प्रमाण–पत्र पृष्ठ सं0 संलग्न है)
(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	
(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व? बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र क ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)	नहीं (प्रमाण–पत्र पृष्ठ सं0 संलग्न है)
(11) क्या कोई वनस्पति की दुर्लभ / संकटापन / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	नहीं
(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / स्थान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो दें।	नहीं
8–प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जाचें गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है	भूमि की मांग मानकों के अनुरूप न्यूनतम है
9– क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहा है।	नहीं
10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	संलग्न है।
11– प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू खण्ड का आकार	प्रस्ताव में संलग्न है।
12– प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर / अवकमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं दर्शाता मैप।	संलग्नक पृष्ठ सं0
13– रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
14– प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	

Scanned with CamScanner

15– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र का उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
15– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (11) (12) 8 और 9 में पूछे गयें	संलग्न है।
16– विभाग / जिला प्रोफाइल	वन विभाग / उत्तरकाशी
17– जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	844.792 वर्ग किमी
18– जिले का वन क्षेत्रफल	622.0897 वर्ग किमी
19– मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	51 / 124.139 है0
20– 1980 से जिला / विभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	171.09 है0
21– दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	13.80 है0
22– वनेत्तर भूमि पर	
23– अब प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
24– वन भूमि पर	
25– वनेत्तर भूमि पर	
26– प्रस्ताव को स्वीकृति कराने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा होने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना निर्माण एवं विकास हेतु 22.0670 है0 ~~आरक्षित वन भूमि~~ एवं सिविल सोयम भूमि 30 वर्षो की लीज की संस्तुति की जाती है।

(आर0पी0 मिश्रा)
उप निदेशक निदेशक
गोविन्द [illegible]
पुरोला [illegible]

Scanned with CamScanner

जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना प्रभावित क्षेत्र (सिविल सोयम भूमि) में आने वाले वृक्षों एवं उनके मूल्यों का संयुक्त सारांश

क्र0 सं0	ग्राम	कुल वृक्ष	कुल धनराशि (₹)	टिप्पणी
1	सावणी ग्राम	8	3798	प्रभावित धनराशि मूल्यांकन हेतु वृक्षों का मुल्य यमुना वृत्त देहरादून के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2015 से लागू दरों के अनुसार है। जिसका प्रजातिवार विवरण संलग्न है।
2	धारा	107	51612	
3	जखोल	85	36390	
4	सुनकुण्डी	210	205716	
5	पांव मल्ला	160	141783	
6	पाव तल्ला	631	482496	
7	Notional land	329	462903	
	कुल योग	1530	1384698	

(पदमसिंह रावत)
वन०दा०

Dy. Director
Govind Wild Life Sanctuaries/National Park
Purola, Uttarkashi

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

पत्रांक-1227 / 12-1 पुरोला,दिनांक, 16-12-2020।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फोरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भ- भारत सरकार के पत्रांक सं०-8बी/यू०सी०पी०/01/146/2019/एफ०सी०/1850 दिनांक 27-11-2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा इस कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 04 के भाग [illegible] के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए हस्तान्तरित होने वाली 24.317 है० वन भूमि के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 50.00 है० प्रस्तावित पुरोला प्रभाग में अवनत वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र सं०-366/12-1 दिनांक 08.10.2020 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, जिसका निरीक्षण [illegible] द्वारा किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	स्थल निरीक्षण दिनांक
1	देवढुंग कक्ष सं०-03	10.00	04.07.2020
2	[illegible] कक्ष सं०-04	10.00	04.07.2020
3	जाख कक्ष सं०-13बी	10.00	01.07.2020
4	जाख कक्ष सं०-06बी	10.00	07.10.2020
5	[illegible] कक्ष सं०-04ए	10.00	07.10.2020

क्षतिपूरक वनीकरण स्थलों (सीएफ/ए पैच) में उपस्थित वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार सूची के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि इस कार्य में अनावश्यक समय एवं श्रमशक्ति (Man power) लगेगा। इससे पूर्व भी इस तरह की प्रक्रियाओं में वृक्षों का गणना कार्य नहीं किया जाता रहा है। उपरोक्त क्षेत्र वन घनत्व के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिसका वन घनत्व 0.4 से कम है।

अतः उपरोक्त क्षेत्र को वन घनत्व के आधार पर ही संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

प्रतिलिपि- 1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महा प्रबन्धक/परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी उत्तरकाशी।

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

Scanned with CamScanner

Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :									
S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.	Total
1	Alnus Nepalensis	Utis	133	123	16	1	0	0	273
2	Others	Kapasi	41	23	0	1	0	0	65
3	Others	Titari	37	22	2	0	0	0	61
4	Pinus wallichiana	Kail	37	27	3	0	0	0	67
5	Others	Kathbhoj	2	4	1	0	0	0	7
6	Others	Panger	14	9	1	7	0	0	31
7	Others	Ban Pipal	2	0	0	0	0	0	2
8	Ulmus wallichiana	Himri	88	41	3	1	0	0	133
9	Rhododendron arboreum	Buransh	62	60	10	0	0	0	132
10	Others	Kumloch	1	0	0	0	0	0	1
11	Others	Narikha	17	11	0	0	0	0	28
12	Others	Kharik	21	15	1	0	0	0	37
13	Pyrus pashia	Mehal	37	27	6	3	0	0	73
14	Juglans regia	Akharot	6	4	5	1	0	0	16
15	Quercus leucotricophora	Banj	20	27	16	6	0	0	69
16	carpinus viminea	Chankharik	11	8	2	0	0	0	21
17	Others	Darli	43	30	4	0	0	0	77
18	Rhus parviflora	Tung	3	1	0	0	0	0	4
19	Others	Siris	13	5	0	0	0	0	18
20	Others	Kimu	30	33	12	4	0	0	79
21	Others	Ayar	37	41	7	2	0	0	87
22	Others	Arkhol	0	1	0	0	0	0	1
23	Others	Chullu	8	10	5	1	0	0	24
24	Castanopsis Tribuloides	Katavg	3	2	0	0	0	0	5
25	Others	Kathmari	1	0	0	0	0	0	1
26	Others	Pyrus	1	0	0	0	0	0	1
27	Cotoneaster bacillaris	Ruyis	1	0	0	0	0	0	1
28	Others	Surayi	13	7	1	0	0	0	21
29	Quercus floribunda	Moru	0	14	4	3	0	0	21
30	Emblica Officianalis	Kawala	7	0	0	0	0	0	7
31	Ficus palmata	Bedu	2	0	0	0	0	0	2
32	Others	Mader	1	0	0	0	0	0	1
33	Others	Lodhar	91	41	0	0	0	0	132
34	Pinus roxburghii	Chir	16	16	0	0	0	0	32
Total			**799**	**602**	**99**	**30**	**0**	**0**	**1530**

प्रारूप–50

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में जखोल–सांकरी, जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु एन0पी0वी0 निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

एन0पी0वी0 की धनराशि के आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है–

1.	इको–क्लास श्रेणी	:– V
2.	हरियाली का घनत्व	
(i)	गो0व0जी0वि0 / रा0पा0, पुरोला	:– 0.1
(ii)	टौन्स वन प्रभाग, पुरोल	:– 0.0
3.	एन0पी0वी0की दर प्रति है0	:– 6,57,000.00
4.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल	
i.	गो0व0जी0वि0 / रा0पा0, पुरोला	:– 22.067 है0 सिविल वन भूमि
ii	टौन्स वन प्रभाग, पुरोला	:– 2.25 है0 आरक्षित वन
6.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशिः–	
(i)	गो0व0जी0वि0 / रा0पा0, पुरोला	:– 22.067x 6,57,000.00 = 1,44,98,019-00
(ii)	टौन्स वन प्रभाग, पुरोला	:– 2.25X 6,57,000.00= 1,47,8250-00
		कुल योग– **1,59,76,269.00**

(आर0पी0मिश्रा)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार / रा0पा0,
उत्तरकाशी।

उप निदेशक
गोविन्द वन्यजीव विहार/रा0पा0
पुरोला, उत्तराखण्ड

(आर0पी0मिश्रा)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

उप वन संरक्षक
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

Scanned by CamScanner

Bill For NPV

CALCULATIONS FOR NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND TO BE DIVERTED UNDER FCA FOR CONSTRUCTION OF JAKHOL SANKRI HYDRO ELECTRIC PROJECT (44MW)

1	Area proposed for diversion	24.317
2	Name of area proposed for diversion	Civil soyam-Jakhol, Dhara, Sawani, Sunkundi, Panw-Talla, panw-Malla & Devata Range Bhasala-3
3	N0- of trees coming in the forest land including sapling	1530
4	ECO-Value Class	Class-v, open forest
5	NPVrate applicable to opne forest of class v	R.S 6,57,000/-per ha
6	Total Net present Value	1,59,76,269.00
7	Total	1,59,76,269.00

Note:-

If any recovery is pointed out ny the audit or higher authority will be effected in lump-sum form theuser agency.

उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0 पा0
पुरोला, उत्तराखण्ड

उप वन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

Scanned by CamScanner

Bill Of NET PRESENT VALUE IN LIEU OF DIVERSION OF FOREST LAND PROPOSED TO BE DIVERSION FOR CONSTRUCTION OF JAKHOL SANKRI HYDRO ELECTRIC PROJECT IN GOVIND WILD LIFE &NATIONAL PARK, PUROLA & TONS FOREST DIVISION PUROLA, DISTRICT UTTARKASHI, U.K

1	Area proposed for diversion	24.317 hac, i/c undergound works.
2	Name of area proposed for diversion	Different places in supin Range and Devata Range
3	N0- of trees coming in the forest land including sapling	1530 including saplings.
4	Type of Forest	Dry temperate/open forest.
5	Eco-Value/class of forest	Class-V
6	NPV rates applicable to open forest of Class-v	24.317x6,57,000.00
7	Total-	Rs. **1,59,76,269.00** only

(R.S. one crore fifty nine lace seventy six thousand two hundred & sixty nine only)

उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पा०
पुरोला, उत्तराखण्ड

उप वन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

Scanned by CamScanner

Bill OF NPV

CALCULATIONS FOR NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND TO BE DIVERTED UNDER FCA FOR CONSTRUCTION OF JAKHOL SANKRI HYDRO ELECTRIC PROJECT (44MW)

1	Area proposed for diversion	24.317 ha
2	Name of area proposed for diversion	Civil soyam-22.067 Rf= 2.25 ha Devata Range
3	N0- of trees coming in the forest land including sapling	1530
4	ECO-Value Class	Class-v, open forest
5	NPVrate applicable to open forest of class v	R.S 6,57,000/-per ha
6	Total Net present Value	24.317X6,57,000=1,59,76,269.00
7	Total	**1,59,76,269.00**

Note:-

If any recovery is pointed out by the audit or higher authority will be affected in lump-sum form theuser agency. without any prior notice.

Date:

Place:

Acknowledge by

उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पार्क
पुरोला, उत्तराखण्ड

उप वन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

Date:

Place:

Addl. GM (HOP)
अपर महा प्रबंधक (परियोजना प्रमुख)
J.S. HEP., MORI, UTTARKASHI, U.K.
जखोल सांकरी, ज.वि.प., मोरी,
उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड–249128

Scanned by CamScanner